न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 23/22 दायरा दिनांक 10.06.2022

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

रघुवीर उम्र 65 साल पुत्र देवीलाल जाति किराड निवासी नारानखेडा तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान –प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान

–अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रेवेन्यू) अधिनियम 1956

<u>निर्णय/आदेश दिनांक– 30.05.2024</u>

उपस्थित–

1. प्रार्थीगण की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट
2. अप्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

उपरोक्त प्रार्थनापत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश हुआ कि ग्राम नारानखेडा तहसील शाहावाद जिला बारां राज. में प्रार्थी के खाते तथा कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 67 रकबा 37.10 बीघा एवं ख.नं. 41 रकबा 2.00 बीघा कुल रकबा 39.10 बीघा स्थित है, जिसे प्रार्थनापत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। विवादित आराजी के आस पास सिवायचक भूमि लगी हुई है जिस पर कई लोग अतिक्रमण कर काश्त करते हैं और अतिक्मित भूमि की आढ में प्रार्थी के खाते की उक्त विवादित आराजी की सीमाओं के अन्दर आकर विवादित आराजी पर काश्त कर कब्जा करने का प्रयास करते हैं मौके पर विवादित आराजी के मौके पर समुचित सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थी का कई अतिक्रमियों से विवाद होता रहता है इस कारण प्रार्थी ने नायब तहसीलदार केलवाडा को विवादित भूमि के सीमाज्ञान कराये जाने का निवेदन किया, लेकिन उन्होने नक्शा जीर्ण शीर्ण होना बताकर दिनांक 21.02.2016 को सीमाज्ञान कराया जाना असंभव बताया, तब प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर श्रीमान जिला कलेक्टर बारां द्वारा दिनांक 01.06.2017 को भूप्रबंध विभाग की टीम द्वारा सीमाज्ञान कराये जाने हेतु सिफारिस श्रीमान भूप्रबंध महोदय कोटा को की, जिस पर विवादित आराजी तथा प्रार्थी के भाई रामेश्वर के खाते की आराजी का सीमाज्ञान कराये जाने हेतु 65000 रूपये का शुल्क प्रार्थी व प्रार्थी के भाई ने जमा कराया और भूप्रबंध विभाग की टीम द्वारा दिनांक 03.03.2020 को सीमाज्ञान करा दिया गया, परन्तु उक्त टीम द्वारा पत्थरगढी

30/05/2024

उपखण्ड अधिकारी

नहीं कराई, जिसके कारण आस पास के लोग विवादित आराजी पर अतिक्रमण करने को आमादा रहते हैं, इस कारण प्रार्थी पत्थरगढी कराने का हकदार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से कोई जबाव पेश नहीं किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नारायणखेडा संबत 2072 से 2075 अनुसार प्रार्थी विवादित भूमि ख.नं. 67 रकबा 37.10 बीघा तथा ख.नं. 41 रकबा 2.00 बीघा का रिकार्डेड खातेदार है। पत्रावली में संलग्न चालान रसीद से प्रार्थी द्वारा 65000 रूपये जमा करा कर सीमाज्ञान कराया जाना साबित है। मौका रिपोर्ट हलका पटवारी दिनांक 09.05.2024 से नक्शा लट्ठा अस्पष्ट होने के कारण भूप्रबंध विभाग द्वारा जारी ईटीएस सर्वे सीट के आधार पर टीम गठित कर पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में पत्थरगढी कराये जाने बावत कहा गया है जो उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रेवेन्यू) अधिनियम 1956 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को आदेशित किया जाता है कि वे नियमानुसार टीम गठन कर प्रार्थी की मौजूदगी में प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी ख.नं. 67 रकबा 37.10 बीघा तथा ख.नं. 41 रकबा 2.00 बीघा ग्राम नारायणखेडा तहसील शाहावाद के भूप्रबंध विभाग द्वारा पूर्व में कराये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करावें, यदि आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद लेवें। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

30/05/2024

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां